



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15266/2026

राशिद

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : फरहा नाज़, संजय कुमार शर्मा प्रतिवादी(यों)
के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किए गए प्रतिउत्तर शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री फरहा नाज़ की ओर से पठा हुआ अधिवक्ता श्री वकार अहमद और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित ए.जी.ए. को सुना।
3. यह जमानत याचिका एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20 के तहत मामला अपराध संख्या 70/2026, पुलिस स्टेशन- पाकबारा, जिला- मुरादाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री की मात्रा 1066 ग्राम (चरस) है, जो व्यावसायिक मात्रा के लगभग बराबर है। उनका तर्क है कि पुलिस ने जानबूझकर मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है ताकि अपराध की गंभीरता को बढ़ाया जा सके। बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर सवाल उठाते हुए अन्य तर्क भी दिए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी वैधता दूषित हो जाती है। वकील ने आवेदक को झूठा फंसाए जाने के संकेत देने वाली परिस्थितियों को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आरोपी की ओर से दिए गए तर्कों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना का भी आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 03.04.2026 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध कर दिया है।

6. अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में आरोपी राशिद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायालय को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह) 25

जून, 2026
एपी पांडे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"